

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भंवरलाल
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 153/23
जीसीएमएस : 2023/456

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	दस्तावेज पार्द तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 25.07.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी सं. 3 से 24 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अतः अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं द्वारा ही विपक्षी सं. 3 से 24 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरुद्ध कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता हैं। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट के आधार पर नाम संशोधन किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम परथा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1965 की अंक तालिका की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम प्रतापलाल अंकित है। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर भंवरलाल पुत्र परथा एवं भंवरलाल पुत्र प्रतापलाल दोनों एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p align="center">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 123 से 132, 142, 143, 146, 147 कित्ता 15 रकबा 3.2940 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1051/145 रकबा 1.3031 हेक्टेयर भूमि में खातेदार भंवरलाल पिता परथा के बजाय भंवरलाल पिता परथा उर्फ प्रतापलाल संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p align="right">(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

